## भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

## राजस्व न्यायाल

## <u>मिस वाद संख्या-01/2015-16</u>

		<u> </u>	14 (104) 01/2015	10	
आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर				आदेश पर की गई कार्रवाई के वाद टिप्पणी तारीख सहित
16.11.2021	अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक घनश्याम तियु, पिता—स्व0				
	बुयाऐं राम तियु, ग्राम—छनकाटा, पो०+थाना—सोनुवा, जिला—प० सिंहभूम द्वारा				
	आवेदन पत्र दाखिल कर चाने गोप, पिता—बलभद्र गोप, ग्राम—झलियामारा,				
2	पो0+थाना–सोनुवा, जिला–प0 सिंहभूम के विरुद्ध मिस वाद प्रारंभ करने का				
ā	अनुरोधः क़िया गया है। आवेदक के आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक—11.03.				
	2016 को मिस केस नं0-01/2015-16 प्रारंभ की गई।				
	25/2 E				
	भूमि का विवरणी				
	<u>मौजा</u>	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	
		34	54	0.14.000 ए०	
	छनकाटा		56	0.14.000 एo	
		73	57	0.82.000 Ç0	
	झलियामारा	46	57	0.40.000 <u>V</u> 0	
		40	773 774	0.78.000 <u>V</u> 0	
			420	0.14.000 ए0 0.09.000 ए0	
	सतपुरी	5	454	0.09.000 ए0 0.23.000 ए0	
			कुल रकवा	2.74.000 Q0	
	आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में बताया गया है कि उक्त भूमि उनके पिता के				
	द्वारा निबंधित दलील के माध्यम से क्रय किया गया है, जिसका लगान भी उनके				
	द्वारा दिया जा रहा है, परन्तु उक्त भूमि पर चाने गोप द्वारा उनको जोत आवाद				
	से मना किया जा रहा है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर हक एवं दखल दिलाने				
	का अन्या किया गाम है।				
	का अनुरोध किया गया है।				
	सुनवाई के दौरान उभय पक्षों को सुनने एवं आवेदन पत्र के अवलोकन से				
	स्पष्ट होता है कि यह मामला इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता				
	है।				
	अतएव बिना गुण—दोष का विवेचना किये ही इस वाद की कार्यवाही को				
i	समाप्त की जाती है।				
	आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।				
	·	X/			
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
Ì	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।			